न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–12/2021 (2021/121) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–बरदीचन्द पिता गोकल कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2–प्यारचन्द पिता गोकल कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3–भैरूलाल पिता भुरा कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन –

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–05.10.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथड़ियास के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 185 में अकिंत आराजी संख्या 90 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 91 रकबा 0.75 है0 आराजी संख्या 96 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.52 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का एक मात्र विद्यमान रास्ता सरकारी बिलानाम आराजी संख्या 22 किस्म गै.मु. रास्ता से होकर विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 23 में बनी हुई ग्रेवल सड़क से होकर आगे विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 24 में स्थित 12 फीट चौड़े रास्ते से होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 97 में जाता है, जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहा है तथा इसी रास्ते से अपने संज बैल, गाड़ी ट्रैक्टर आदि लेकर जाते है तथा खाद आदि डालता आ रहे है। प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं हैं। प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थीगण के विद्यमान कदीमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से गुलाबी स्याही से दर्शाया गया है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर आराजी संख्या 23, 24 में खुला हुआ है परंतु आ.सं. 24 में स्थित उक्त रास्ते को छड़िया डालकर अतिक्रमियो ने बंद कर दिया जिससे प्रार्थीगण को उसकी आराजी में आवागमन करने से रोक दिया है तथा उनको ओलंबा देने पर प्रार्थी के साथ गाली गलौच व लड़ाई झगड़ा करते हैं। जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में आवागमन नही कर पाता है तथा अपने खेतो में फसल काश्त कर काश्त लाभ नही ले पाता है। उक्त रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिये अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम पनोतिया पटवार हल्का नाथडियास के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 185 में अकिंत आराजी संख्या 90, 91, 96, 97 में आवागमन का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 24 में 12 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकारी गै.मु. रास्ता दर्ज कराने का आदेश तहसीलदार रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डीएलसी दर से राशि विपक्षी को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 02.07.2021 को रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 फौरमल पक्षकार है जिन्होने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 90, 91, 96, 97 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 में पहुॅच हेतु रास्ता दर्ज नही है। वर्तमान में मौके पर आराजी संख्या 24 में होकर आते जाते है जो मौके पर छड़िया डालकर बन्द है। मौके पर विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजियात पर आराजी संख्या 24 रकबा 0.50 है0 में होकर आया जाया जा रहा है। उक्त आराजियात में पहुँचने के लिए बिलानाम आराजी संख्या 24 रकबा 0.50 है0 मे से 0.10 है0 भूमि प्रस्तावित रास्ते में आती है जिसकी डीएलसी दर 399199 रूपये प्रति है0 है। वर्तमान में निविर्वाद मौके पर स्थित रास्ते को हरे रंग एवं प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर उक्त आराजियात पर पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है।

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो सरकारी रास्ते से सीधा बिलानाम भूमि में होता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जा रहा है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थीगण द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वो बिलानाम सरकारी भूमि होकर पड़त है एवं प्रार्थीगण नियमानुसार भूमि कीमत देने हेतु सहमत है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 90 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 91 रकबा 0.75 है0 आराजी संख्या 96 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.52 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 24 रकबा 0.50 है0 मे से 0.10 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 399199 रूपये प्रति है0 से 39920 रूपये का दुगुनी राशि 79840 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05-10-2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—12/2021 (2021/121) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—बरदीचन्द पिता गोकल कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
2—प्यारचन्द पिता गोकल कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
3—भैरूलाल पिता भुरा कुमावत निवासी डांगकाखेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1—लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी संख्या 90 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 91 रकबा 0.75 है0 आराजी संख्या 96 रकबा 0.59 है0, आराजी संख्या 97 रकबा 0.52 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.16 है0 भूमि में आवागमन हेतु विपक्षी की आराजी संख्या 24 रकबा 0.50 है0 मे से 0.10 है0 भूमि रास्ते के उपयोग में आ रही है जिसकी डीएलसी दर 399199 रूपये प्रति है0 से 39920 रूपये का दुगुनी राशि 79840 रूपये मुआवजा राशि बनती है। उक्त राशि का प्रार्थीगण द्वारा राजकोष में जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 05.10.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

5-10-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.12.07 17:07:06 IST
Reason: SelfAttested